CNR No. UPVR010057562026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 1890 / 2026

प्रवीण पटेल उर्फ बाबू पुत्र नन्दलाल पटेल उर्फ नन्दू पटेल निवासी ग्राम बालकिसुनपुर, थाना चोलापुर, जनपद– वाराणसी।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .... अभियोजक

मु0अ0सं0 100 / 2026
धारा 108 बी०एन०एस०
थाना–सिन्धौरा
जनपद– वाराणसी।

01–07–2026

1– प्रार्थी / अभियुक्त **प्रवीण पटेल उर्फ बाबू** की ओर से उपरोक्त मामले जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रोहित पटेल की शादी वर्ष 2022 में उषा पटेल उर्फ सीमा के साथ हुई थी। घटना दिनांक 14–05–2026 को वादी के मोबाईल पर प्रवीण पटेल उर्फ बाबू फोन करके वादी की पत्नी को ब्लेकमेल करने लगा व बोला कि जो भी मैसेज व फोटो अश्लील विडियो है ये सब तुम्हारे पति को भेज दुगाँ अगर मेरी बात न मानी तो मैं ये सब फोटो व अश्लील वीडियो तुम्हारे परिवार व फेसबुक इस्ट्राग्राम मे डाल दूगाँ व तुम्हारे पति को जान से मार दूँगा। वह बार बार फोन करके वादी को ब्लेकमेल करता था। वह गाली गलौज व गन्दी गन्दी बात व रंडी जैसे शब्द का प्रयोग करने लगा। उक्त प्रताड़ना में आकर व अपनी मर्यादा को देखते हुये वादी की पत्नी ये सब सहन न कर पायी जिसकी वजह से जहरीला पदार्थ समय करीब 3.00 बजे शाम को खा लिया जिसे हम लोग इलाज के लिए हास्पिटल ले गये। इलाज के दौरान करीब लगभग 10 बजे रात को डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया जिसकी एक पुत्री 1 वर्ष की है। प्रवीण पटेल उर्फ बाबू की वजह से वादी की पत्नी की मृत्यु हो गयी।

4– दौरान इलाज उषा पटेल की मृत्यु हो गयी। विवेचना के अनुक्रम में मृतका का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें मृतका की मृत्यु का कारण ***Cause of death could not be ascertained viscera and blood vial preserved for chemical analysis*** अंकित किया गया है।

5– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। मृतका ने जो भी कृत्य किया है वह अपने ससुराल में अपने पति के प्रताड़ना की वजह से किया है। डॉक्टर के समक्ष मृतका का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने कहा है कि मैं स्वयं जहर पी हूं न तो हमारे ससुराल की गलती है न तो प्रवीण की गलती है। प्राथमिकी घटना के 16 दिन बाद अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस बात से घटना पूर्णतया संदेहास्पद हो जाती है कि मृतका की मृत्यु के बाद उसकी लाश को उसके परिवार वाले व मायके वाले हास्पिटल से ही उसके पहने कपडे में घाट पर ले गये जहां मृतका के मामा की सूचना पर पुलिस लाश को कब्जे में ली थी। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.07.04 10:25:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6— अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना—पत्र का प्रबल विरोध करते कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया जिसके कारण वादी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। केस डायरी के पर्चा सं0 01 पर वादी रोहित पटेल, वादी के पिता राजेन्द्र प्रसाद, मृतका के पिता शिव कुमार, मृतका की मां निशा व गवाह बचानू ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा सं0 02 पर अभियुक्त प्रवीण पटेल उर्फ बाबू का बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने कहा है कि ''मेरा और मृतका उषा पटेल का शादी से पहले संबंध था। उसके कुछ फोटो वीडियो मेरे पास थे। उसकी शादी हो जाने के बाद भी मैं उससे संबंध रखना चाहता था। उसको बार—बार फोन करके संबंध बनाये रखने के लिए परेशान करता था लेकिन वह नहीं मान रही थी।'' केस डायरी के पर्चा सं0 07 पर अवलोकन आडियो रिकॉर्डिंग अंकित किया गया है जिसमें मृतका के पति व अभियुक्त के साथ बीच—बीच में मृतका की आवाज आने का उल्लेख किया गया है जिसमें अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि ''तुम्हारी औरत बहुत गन्दी औरत है उससे जाकर पूछो तुम्हारा बाबू कौन है, बहुत बेकार मेहरारू है। अपनी मेहरारू को समझा देबा तो खुशी से रहबा। तुमको हम जानते है तुम बहुत सीधा आदमी हो।'' आडियो के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका को बार बार गलत बताया जा रहा है जिसकी प्रताड़ना में आकर मृतका द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0 11 में मृतका के मृत्युकालिक बयान का उल्लेख किया गया है जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि सल्फास खा ली हूं। किसी का कोई दोष नहीं है, मैं स्वयं खा ली हूं।'' कथित रूप से अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाय।

7— मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8— अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रवीण पटेल उर्फ बाबू** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 01—07—2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

Steno-Md Imran

J.O. Code-UP1900